इस बार 5वीं व 8वीं की परीक्षा में 90 अंक का लिखित पेपर और 10 अंक का मौखिक होगा

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। इस बार पांचवीं और आठवीं की वार्षिक परीक्षा बोर्ड की तर्ज पर होगी। दोनों कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं 4 मार्च से शुरू हो रही हैं, जो 27 मार्च तक चलेंगी। इस बार परीक्षा पैटर्न में बदलाव भी किए गए हैं। पांचवीं और आठवीं के नियमित विद्यार्थियों को 100 नंबर के पेपर में 10 अंक के मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित पेपर 90 नंबर का होगा। इसमें 90 में से 30 अंक लाना अनिवार्य है।

इस परीक्षा में एक विषय में 33 नंबर लाने वाले विद्यार्थी को सफल माना जाएगा। पिछले साल तक सभी विषयों की लिखित परीक्षा 70 अंक की और मौखिक 30 अंक की होती थी। अब लिखित परीक्षा के अंक बढ़ा दिए गए हैं, इसलिए परीक्षा भी कठिन मानी जा रही है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने समय सारिणी के साथ-साथ दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं।

पांचवीं की परीक्षा का समय दोपहर 1:30 से 4बजे तक और आठवीं की परीक्षा दोपहर 1:30 से 4:30 बजे तक रहेगा। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि फरवरी तक कोर्स पूरा कर रिवीजन करा लिया जाए, क्योंकि इस बार 33 फीसदी से कम अंक लाने वाले बच्चों को कक्षोन्नति नहीं दी जाएगी। साथ ही दिव्यांग विद्यार्थियों को 30 मिनट का अतिरिक्त समय भी मिलेगा, ताकि उन्हें परीक्षा देने में परेशानी न आए।

यह समय उत्तर पुस्तिका देने से पहले मिलेगा। इसमें वे पेपर और अपनी स्वयं की बैठक व्यवस्था देख सकेंगे। इसके अलावा दिव्यांग विद्यार्थियों को लेखक की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

पैतृक संपत्ति से कोई बेदखल नहीं कर सकता आपको

आप नेट फ्रैंडली हैं, आप ऑनलाइन वसीयत तैयार करना चाहते हैं तो आप कानूनी विशेषज्ञ की मदद ले सकते हैं। इसके लिए 'लीगलहेल्पडेस्क डॉट कॉम पर लॉगइन करें।

इस सीरीज में हम आपको पैतृक या विरासत में मिली संपत्ति संबंधी जानकारी दे रहे हैं। कानूनन संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक वो जो व्यक्ति ने अपनी मेहनत से अर्जित की हो यानी स्वअर्जित संपत्ति और दूसरी जो विरासत या उत्तराधिकार में मिली हो यानी पैतृक संपत्ति। स्वअर्जित संपत्ति के लिए बनाई वसीयत से व्यक्ति चाहे तो अपने बच्चों तक को बेदखल कर सकता है। इसके विपरीत पैतृक संपत्ति से खानदान के किसी भी सदस्य को बेदखल नहीं कर सकते। चाहे उस संपत्ति की वसीयत बनाई गई हो या नहीं। वैसे बाप-दादा की संपत्ति के बंटवारे के लिए भी कई तरह के नियम-कानून हैं, ये इतना सीधा मामला नहीं है।

रिश्तेदारों से अनापत्ति मिलने पर संपत्ति हस्तांतरित होगी

आमतौर पर पैतृक संपत्ति के बंटवारे की बात, संपत्ति मालिक की मृत्यु बाद ही की जाती है। क्योंकि उसके बाद ही नया मालिक बनाने की बात उठती है। अगर मरने वाले ने कोई वसीयत नहीं की थी, तो उसके पुत्र या उत्तराधिकारी के नाम वह संपत्ति कानूनन हस्तांतरित हो जाएगी। इसके लिए हक जताने वाले को कोर्ट में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करना होगा। यदि कोई रिश्तेदार हस्तांतरण पर आपत्ति जताता है तो आवेदन निरस्त हो जाता है। इसके बाद मामला कोर्ट में तब तक लंबा चलता है, जब तक कानूनन उत्तराधिकारी का फैसला न हो जाए अथवा सभी सदस्य एक मत से समझौता न कर लें।

▪ पैतृक संपत्ति का क्या मतलब है?

- सामान्यतः किसी भी पुरुष को अपने पिता, दादा या परदादा से उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, पैतृक संपत्ति कहलाती है। इस परिवार में जन्म के साथ ही बच्चा पिता की पैतृक संपत्ति का अधिकारी हो जाता है।

▪ परदादा की संपत्ति का मैं कैसे हकदार हूं?

उ. उदाहरण के लिए- किसी परिवार में किसी व्यक्ति के तीन बच्चे हैं और उसने कोई वसीयत भी नहीं कराई है। ऐसे में उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उस पैतृक संपत्ति का बंटवारा उन तीनों बच्चों में होगा। इसके बाद तीसरी पीढ़ी के बच्चे कानूनी रूप से अपने पिता के हिस्से में से अपना हिस्सा लेने के हकदार होंगे। इन तीनों बच्चों को पैतृक संपत्ति का एक-एक तिहाई मिलेगा और उनके बच्चों और पत्नी को बराबर-बराबर हिस्सा मिलेगा।

▪ पैतृक संपत्ति बेचने का अधिकार किसे है?

- जब सभी सदस्यों को कानूनी रूप से उनका हिस्सा मिल जाता है तो वे उसे बेचने के हकदार भी हो जाते हैं। यदि बंटवारा नहीं हुआ है तो पैतृक संपत्ति बेचने के लिए हिस्सेदारों की लिखित सहमति लेना जरूरी होता है। उसके बाद ही इसे बेच सकते हैं।

(अन्य जानकारी के लिए विजिट करें- info.mysabkuch.com)